प्रेस नोट दिनांक 04.01.2026

थाना शाही जनपद बरेली

थाना शाही @bareillypolice द्वारा नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी एक अभियुक्त को मय एक नाजायज तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.01.2026 को वादिनी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर बालात्कार करने के सम्बन्ध में थाना शाही पर मु0अ0सं0 01/26 धारा 65(2) BNS व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 (1) बीएनएस व 351 (3) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में विकाश उर्फ शम्भू पुत्र सुरेश नि0 ग्राम सिहोर थाना शाही जनपद बरेली का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस कार्यवाही का संक्षिप्त विवरणः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद बरेली के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज महोदय के निकट पर्येवेक्षण में थाना शाही पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये **अभियुक्त विकाश उर्फ शम्भू पुत्र सुरेश नि0 ग्राम सिहोर थाना शाही जनपद बरेली** को औरंगाबाद जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज देशी तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना शाही पर मु0अ0सं0 02/25 धारा 3/25 आर्म्स पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त विकाश उर्फ शम्भू पुत्र सुरेश नि0 ग्राम सिहोर थाना शाही जनपद बरेली ने अभियुक्त ने बताया कि हम तीन भाई है मैं सबसे बड़ा हूँ मेरी शादी नहीं हुई है मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ और अपनी काम वासना पूरी करने के लिए महिलाओं को फंसाने के चक्कर में रहता हूँ लेकिन कोई महिला मेरे चक्कर में नहीं फंसती है इसलिए मैं छोटी बच्चियों को काफी दिन से बहकाकर अपनी काम वासना पूरी करने के लिए घूम रहा था दिनांक 02.01.2026 को में गांव सिहोर में घूम रहा था तो दिन में समय करीब 4.00 बजे होंगे गांव में रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे उनमें मेरे गांव के रहने वाली करीब 6-7 साल की बच्ची भी खेल रही थी मैनें उस बच्ची से कहा कि तुम मेरे साथ चलो गन्ने के खेत में बिस्कुट रखे है मैं तुमको बिस्कुट दूंगा वह बच्ची मेरी बात पर विश्वास करके मेरे पीछे-पीछे चल दी और मैं गांव के रास्ते से होता हुआ रामचन्द्र पुत्र भीमसैन की परचूनी की दुकान के सामने वाले कच्चे रास्ते से होकर जंगल की ओर को उस बच्ची के आगे-आगे चलने लगा और वह बच्ची मेरे पीछे आने लगी आगे रास्ते में गांव के दो बच्चे घास में कुछ कर रहे थे मैने उनको देखकर अपना मूह मफलर से ढक लिया और मैं लंगडाकर चलने लगा ताकि यह बच्चे मुझे ना पहचाने और मैं उस बच्ची को लेकर अपने गांव के महेन्द्र गंगवार के गन्ने के खेत में लेकर गया और गन्ने में मेने उस बच्ची की जबरन पहनी पाजामी निकालकर उसके साथ गलत काम करने लगा फिर मैने उस बच्ची को जान से मारने के लिए उसका गर्दन भी अपने हाथों से दाबी थी तब उसकी सांसें भी रूक गयी थी उसकी नाक से भी खून आने लगा था फिर मुझे लगा कि कोई आ रहा है और मैं डर के कारण उस बच्ची को जान से मारने की धमकी देता हुआ वहाँ से गांव आने के लिए दूसरे रास्ते से अपने घर आ गया था। वह बच्ची गन्ने के खेत से अपने आप अपने घर चली गया थी वह मुझे नहीं जानती थी लेकिन गांव के कुछ लोगो ने मुझे उस बच्ची के साथ जाते हुए देख लिया था जब मुझे इस बात का पता चला कि उन लोगो ने पुलिस को मेरा नाम बता दिया है तो मैं तमंचा व कारतूस लेकर घर से भाग गया था।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

मु0अ0सं0 01/26 धारा 65(2)/109 (1)/351 (3) BNS व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट।

मु0अ0सं0 02/26 धारा 02/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

बरामदगी का विवरणः-

एक तमंचा 12 बोर व 01 कारतूस जिन्दा 12 बोर।

पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक राजेश कुमार बैंसला थाना शाही जनपद बरेली।
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना शाही जनपद बरेली।
3. हे0कां0 296 हरिओम थाना शाही जनपद बरेली।
4. कां0 1921 राहुल शर्मा थाना शाही जनपद बरेली।